उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-49/2018-19

बबलू सोरेन

बनाम्

भीमा टुडू

–: आदेश :–

दिनांक

29/01/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बबलू सोरेन, पे0 स्व0 शोभा सोरेन, सा0–करमाटाँड़, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/2015–16 आदेश दिनांक–02.06.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–33/2015–16 आदेश दिनांक 02.06.2017 के द्वारा मौजा–करमाटाँड़ नं0–24 जमाबंदी सं0–04 दाग नं0–318 रकवा 00–03–00 धूर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोनों पक्ष संताल जाति के सदस्य है। इसलिए मौजा करमाटाँड़ के जमाबंदी सं0–04 के अंदर रकवा–00–03–00 धूर जमीन ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने का सवाल ही नहीं उठता है। उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मकान मय सहन कहकर दर्ज है। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज को मकान बनाने के लिए उत्तरवादी के पूर्वज द्वारा दिया गया था और अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर बहुत पूर्व से मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहें हैं और इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय का अनेकों निर्णय है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन पर मकान बना लिया है और उस पर वह सपरिवार निवास कर रहें हैं तो उस जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता के पूर्वज बहुत पहले से दखलकार हैं। पहले अपीलकर्त्ता के दादा उसपर दखलकार थे। इसके बाद अपीलकर्त्ता के पिता दखलकार थे और वर्तमान समय में अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहें हैं एवं सरकार को खजाना दे रहें

है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा करमाटाँड़ नं0–24 जमाबंदी सं0–04 कुल रकवा 14–07–08 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गंगा टुडू पे0 सुगदा टुडू के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत के पुत्र है। जबकि अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। उक्त जमाबंदी की जमीन से अपीलकर्त्ता का कोई सम्बंध नहीं है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी की पैतृक जमीन उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0 318 रकवा 00–03–00 धूर जमीन जबरन कब्जा किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस सम्बंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–77/रा0 दिनांक–20.01.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–करमाटाँड़, थाना नं0–24 के जमाबंदी नं0–04 कुल रकवा–14–07–08 धूर जमीन रैयत–गंगा टुडू वल्द सुगदा टुडू के नाम से विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–318 रकवा–00–05–09 धूर किस्म मकान मय सहन के अन्दर वादगत 00–03–00 धूर जमीन विपयांकित अपीलवाद के प्रथम पक्ष बबलु सोरेन के द्वारा सामाजिक दान पत्र के माध्यम से द्वितीय पक्ष भीमा टुडू से अर्जित किया गया है। वादगत जमीन द्वितीय पक्ष भीमा टुडू की पैतृक जमीन है। दान पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकुल प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा करमाटाँड़ नं0–24 जमाबंदी सं0–24 कुल रकवा 14–07–08 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गंगा टुडू वल्द सुगदा टुडू के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0–04 के अन्तर्गत दाग नं0–318 रकवा 00–03–00 धूर जमीन अपीलकर्त्ता ने सामाजिक दान पत्र से प्राप्त करने का दावा किया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी

(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार दान पत्र से जमीन का हस्तान्तरण वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश निम्न संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/2015–16 आदेश दिनांक–02.06.2017 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/09/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

29/09/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी० पी० - 169/विविध
Date - 29/09/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:02:46 +05:30
Location: 192.168.29.8